एसडीजी 5 केन्द्रित जीपीडीपी : ग्राम पंचायत विकास योजना में जैण्डर मुद्दों का जुड़ाव

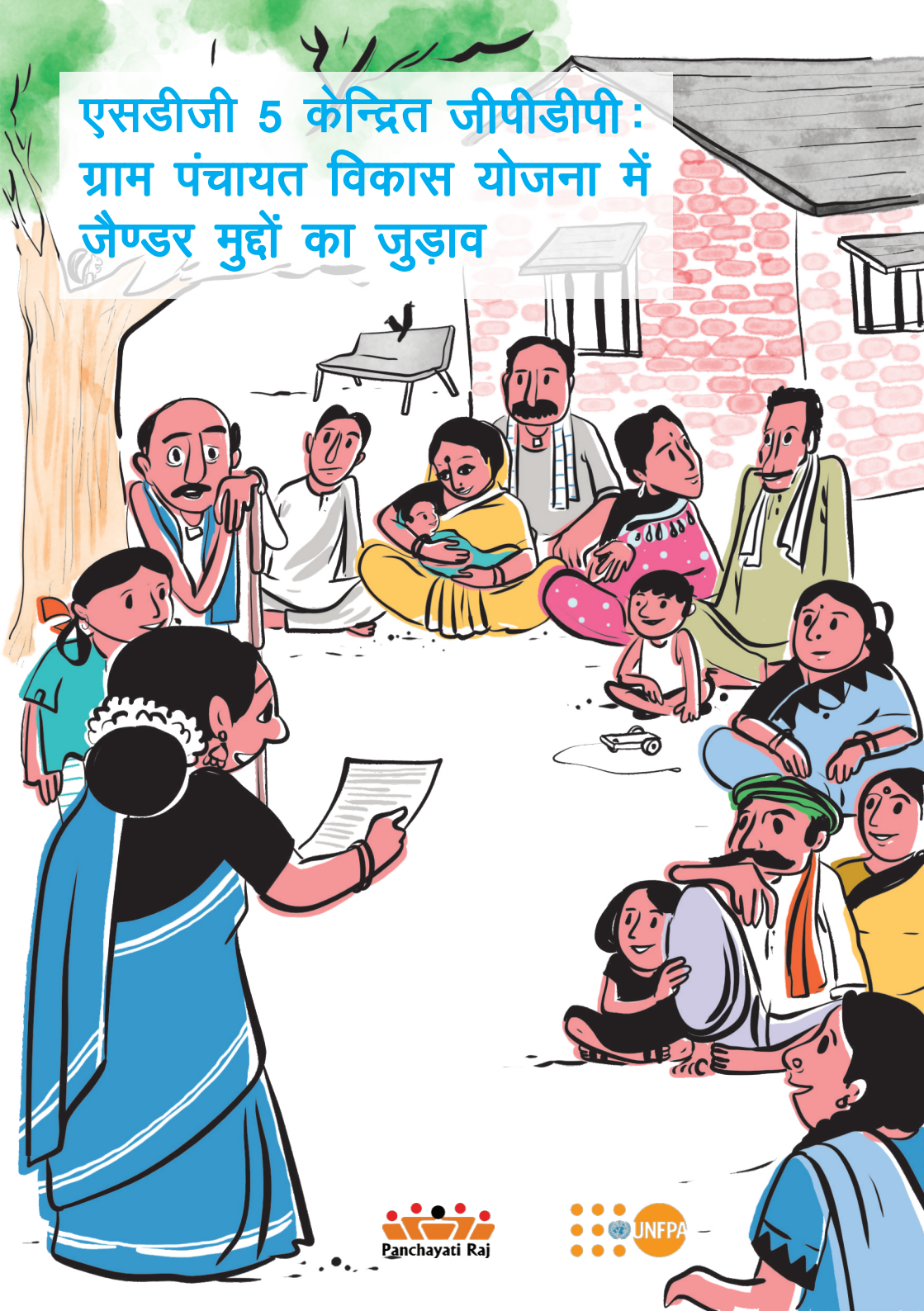

Panchayati Raj

UNFPA

प्रकाशनः
यूएनएफपीए, भारत, 2022

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोकार्पित
पंचायती राज प्रशिक्षण में
राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के उपयोग हेतु

जीपीडीपी में जैण्डर मुद्दों का जुड़ाव क्यों?

- जैण्डर न्याय सुनिश्चित करने एवं जैण्डर समानता बढ़ाने के लिये
- पक्षपातपूर्ण जैण्डर भेदभाव से जुड़े सामाजिक सोच में बदलाव
- महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़त
- सतत् विकास लक्ष्य–5 की दृष्टि को साकार करने हेतु

जीपीडीपी में जैण्डर का जुड़ाव कैसे?

- महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव दूर करने के उपाय
- महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाली सार्वजनिक व निजी हिंसा खत्म करने के प्रयास
- हानिकारक प्रथाओं जैसे – लिंग चयन, बाल विवाह, डायन प्रथा, दहेज, आदि का उन्मूलन
- महिलाओं व बालिकाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी – राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक मंचों पर बढ़ाकर सुनिश्चित करने के प्रयास
- महिलाओं के घरेलू व देखभाल से जुड़े अवैतनिक कामों को पहचान व मान देकर सहयोगी सेवाओं में बढ़त
- आर्थिक संसाधनों जैसे – भूमि, वित्त एवं कर्ज़ संबंधी अवसरों में समान हक महिलाओं को दिलाकर
- महिलाओं के कामों का बोझ कम करने हेतु जैण्डर–संवेदी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा
- महिलाओं व बालिकाओं के सशक्तिकरण सबंधी नीतियां, कार्यक्रम व कानूनों को लागू करने के संकल्पित प्रयास
- जीपीडीपी निर्माण में महिला भागीदारी सुनिश्चित करके
- महिलाओं के विकास मुद्दों की पहचान हेतु महिला सभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाकर
- सतत् विकास लक्ष्य–5 के सभी उपलक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करके

सतत् विकास लक्ष्य 5.1 : महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव खत्म करना–पंचायतों की भूमिका

- परिवारों और समुदाय को बालिका–जन्म उत्सव रूप में मनाने की प्रेरणा
- सभी लड़कियाँ स्कूली शिक्षा–आर.टी.ई., 2009 कानून अनुसार पूरी करें–यह सुनिश्चित करना
- महिलाओं व बालिकाओं का सामाजिक मान बढ़ाने की समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन
- ग्राम स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता समितियों को सक्रिय बनाकर, महिलाओं व बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण व टीकाकरण को बढ़ावा
- महिलाओं व बालिकाओं की पहुंच सभी आयु समूहों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक बनाना
- महिलाओं व बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर, आजीविका अवसर बढ़ाना
- उनके भू–स्वामित्व, वित्तीय संबल व ऋण सुविधाओं का संरक्षण

सतत् विकास लक्ष्य 5.2 : महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन : पंचायतों की भूमिका

- सुरक्षा ऑडिट करके महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षित सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करना जैसे–सड़कों व रास्तों पर रोशनी, सामुदायिक सुरक्षा दल सक्रिय करना, आदि से
- महिला सभाओं में महिलाओं व बालिकाओं पर हिंसा की रोकथाम के उपाय करना
- स्थानीय समूहों/संस्थाओं को जोड़कर, पुरूषों व लड़कों से सकारात्मक मर्दानगी व जैण्डर समानता की समझ बढ़ाना
- महिलाओं व बालिकाओं के कानूनी हकों की जागरूकता बढाना व संरक्षक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना
- संरक्षण अधिकारियों व उनकी भूमिका – हिंसा झेल चुकी महिलाओं/बालिकाओं के बारे में सजगता बढ़ाना
- महिलाओं/बालिकाओं पर हिंसा करने वाले असामाजिक अपराधी व्यक्तियों को विकास सुविधाओं से वंचित करना
- पंचायतों को महिलाओं व बालिकाओं पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा खत्म करने के लिये सक्षम बनाना

हिंसा मुक्त पंचायत
उड़ान भरती लड़कियां

सतत् विकास लक्ष्य 5.3 : महिलाओं व बालिकाओं के विरूद्ध सभी हानिकारक प्रथाओं का उन्मूलन : पंचायतों की भूमिका

- जैण्डर–आधारित लिंग चयन अवैध है कि समझ बनाने के जागरूकता अभियान चलाना तथा गर्भवती महिलाओं व उनके परिवारों की समझाइश
- क्षेत्र में उपलब्ध सोनोग्राफी केन्द्रों/सेवाओं की निगरानी तथा वे पीसीपीएनडीटी कानून, 1994 की अनुपालना कर रहे हैं–यह देखना
- बाल विवाह उन्मूलन की शपथ–बाल सभा, महिला सभा, वार्ड एवं ग्राम सभाओं में दिलाना
- स्कूल छोड़ने/ड्रॉपआउट के कारणों जैसै–यातायात सुविधा, पृथक शौचालयों, महिला शिक्षकों के अभावों को दूर करना एवं बालिकाओं को जीवन कौशल युक्त बनाकर, उन्हें बाल विवाह/जबरन विवाह का विरोध करने में सक्षम बनाना
- ग्राम बाल सरक्षण समितियों को सक्रिय बनाना एवं बाल विवाह निशेष अधिकारियों तक पीड़ित बच्चों की पहुंच बनाना
- दहेज–मुक्त गांवों का विकास–जागरूकता रैलियों के आयोजन एवं युवाओं को दहेज–कुरीति का बहिष्कार करने हेतु संकल्पित करना
- महिलाओं व बालिकाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने हेतु मासिक विधिक साक्षरता शिविरों का आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आयोजन

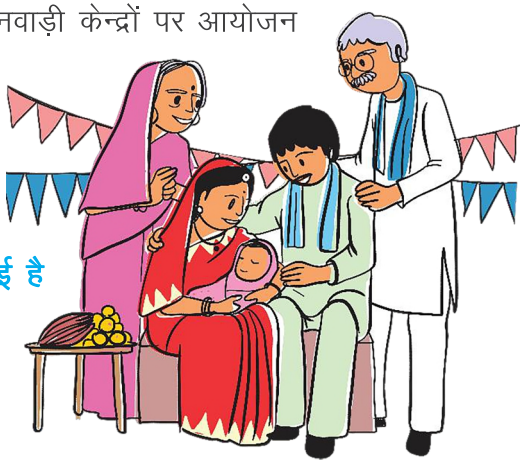

बधाई हो लड़की हुई है

सतत् विकास लक्ष्य 5.4 : अवैतनिक घरेलू व देखभाल कार्यों को पहचान कर, महिला–सहयोगी सेवाओं का विस्तार

- महिलाओं व पुरूषों का घरेलू व देखभाल के कामों में दैनिक समय–निवेश का सहभागी आंकलन कराना
- महिलाओं व बालिकाओं के घरेलू कार्य भार में हाथ बंटाने हेतु पुरूषों व लड़कों को प्रोत्साहित करना
- सामुदायिक सेवाओं को बढ़ाना ताकि महिलाओं के कामों का बोझ–घटे, जैसे :
  - बुजुर्गों के लिये देखभाल केन्द्र, वृद्धाश्रम खोलना
  - क्रैश, बाल–सेवा केन्द्र
  - पशु चारागाह/पशु हॉस्टल विकास
  - हर–घर नल से पानी की सुविधा
  - जलाऊ लकड़ी व चारा युक्त पेड़ों को बढ़ावा–हर खेत की मेड़ पर
- स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा–सौर, पवन, बायो–मॉस आधारित ऊर्जा का महिलाओं हेतु विस्तार
- ग्राम सभाओं में महिलाओं के खेती, पशुधन विकास, लघु वन उपज संग्रह, जल–संग्रह आदि में योगदान को मान–सम्मान

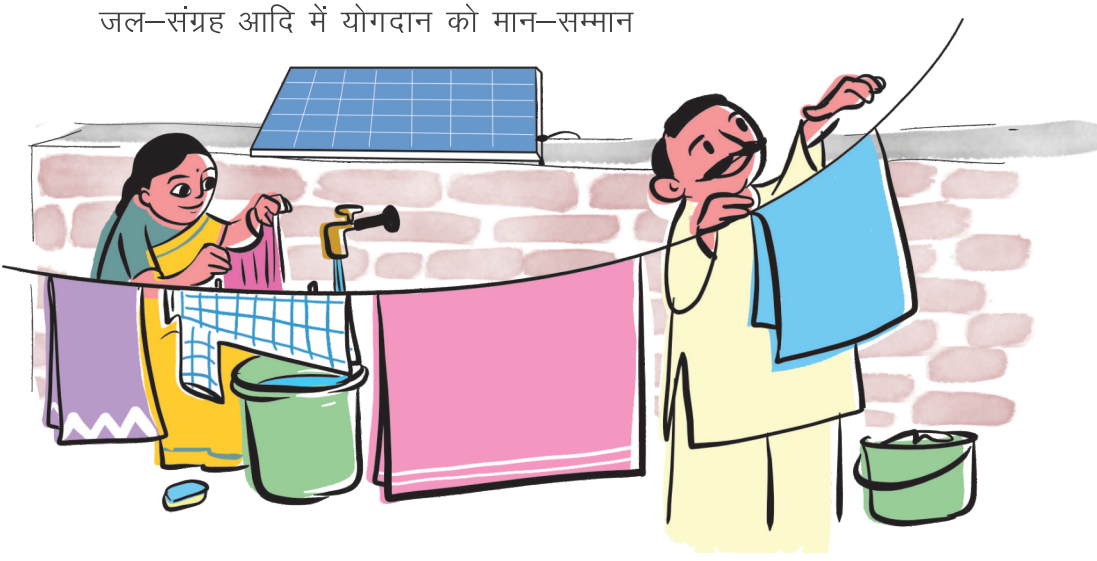

सतत् विकास लक्ष्य 5.5 : महिलाओं की पूर्ण व प्रभावी भागीदारी राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन में सुनिश्चित करने में पंचायतों की भूमिका

- पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जुटाने हेतु उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं संबल देना
- महिला प्रतिनिधियों के पुरूष रिश्तेदारों का दखल पंचायत कार्यों में कम करना और उन्हें महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने से रोकना
- महिला सभाओं के आयोजन को बढ़ावा देकर, उनकी विकास ज़रूरतों को जीपीडीपी में जोड़ना
- पारिवारिक सम्पत्ति के वारिसाना हक में महिलाओं व बालिकाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना
- सम्पत्ति स्वामित्व के सयुंक्त पंजीयन को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक अभियानों का आयोजन
- महिला स्वयं सहायता समूहों एवं स्वरोज़गारी महिलाओं को बाज़ार–सुविधाओं, बैंक – ऋण सुविधा एवं बीमा सुविधा से जोड़ना
- जैण्डर–न्याय सुनिश्चित करने के लिये जाति एवं सामुदायिक पंचायतों में भी महिला भागीदारी बढ़ाना

सतत् विकास लक्ष्य 5.6 : महिलाओं की पहुंच यौनिक व प्रजनन स्वास्थ्य हकों तक बनाने में पंचायतों की भूमिका

- स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का प्रभावी संचालन एवं एएनएम की गांवों में नियमित सेवायें सुनिश्चित करना
- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं का आशा कार्यकर्त्ता से नियमित संपर्क जुटाना
- स्वास्थ्य सेवाओं के तहत–यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवायें – आरटीआई/एसटीडी, सुरक्षित एवं वैध गर्भपात, गर्भ निरोधक, मातृ स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना व महिलाओं की इन सेवाओं तक पहुंच बनाना
- किशोर बालिकाओं की जीवन कौशल शिक्षा को बढ़ावा–जिसमें यौनिक शिक्षा का भी समावेश हो
- गर्भ निरोधक सेवाओं में स्वतंत्र चयन के विकल्प, गुणवत्ता आधारित सेवाएं, सूचना आधारित चयन, सहमति, समझाइश आधारित गर्भ निरोधक चयन को बढ़ावा
- गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने में पुरूषों की भागीदारी को बढ़ावा देना

सतत् विकास लक्ष्य 5 ए :
महिलाओं के समान अधिकार–आर्थिक संसाधनों तक सुनिश्चित करने में पंचायतों की भूमिका

- खेती की ज़मीन पर बराबरी का हक–संयुक्त पट्टे जारी कर, संरक्षित करना
- कृषि–भूमि एवं मकान के स्वामित्व हेतु संयुक्त पंजीयन बढ़ाने के अभियान
- पारिवारिक संपत्ति में बेटियों के वारिसाना हक बराबरी से दिलाना
- दिहाड़ी भुगतान आधारित मज़दूरी–कृषि कार्य, निर्माण कार्य, अन्य श्रम कार्य में महिलाओं का पारिश्रमिक पुरूषों के बराबर हो–यह सुनिश्चित करना
- महिला स्वयं सहायता समूहों एवं स्व–रोज़गारी महिलाओं को बैंकों से वित्तीय सहयोग दिलाना
- शून्य बैलेन्स पर बैंक खाते खोलकर, महिलाओं की भागीदारी बैंकों से लेनदेन में बढ़ाना
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु उनकी सक्रिय सदस्यता विभिन्न समितियों जैसे – शामलात भू प्रबंधन समिति, सयुंक्त वन प्रबंधन समिति, जल संग्रहण समिति, जल प्रबंधन समिति, जैव विविधता प्रबंधन समिति, आदि में बढ़ाना

सतत् विकास लक्ष्य 5 बी:
सहयोगी प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर, महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका

- महिलाओं के कामों का बोझ कम करने हेतु सहयोगी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा– जैसे– सौर, पवन, बायो मास–आधारित ऊर्जा से संचालित उपकरण
- हर घर नल से जल व हर घर बिजली कनैक्शन सुविधा को बढ़ावा
- महिलाओं व बालिकाओं में डिजिटल व कम्प्यूटर कौशल को बढ़ावा
- सूचना–संचार प्रौद्योगिकी का महिला व बालिका सशक्तिकरण हेतु उपयोग कर–स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग, विभिन्न हेल्पलाइन व संरक्षण सेवाओं से उनका जुड़ाव तथा ऑनलाइन परामर्श एवं विधिक सहायता आदि बढ़ाना
- महिला अधिकारों की जागरूकता जन संचार साधनों व मीडिया के माध्यम से बढ़ाना

सतत् विकास लक्ष्य 5 सीः
जैण्डर समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु लागू नीतियों, कार्यक्रमों व कानूनों को बढ़ावा देने में पंचायतों की भूमिका

- सूचना–संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से महिलाओं व बालिकाओं के हित में लागू नीतियों, कार्यक्रमों व कानूनों की जनजागृति बढ़ाना
- महिलाओं व बालिकाओं के लिये बने कार्यक्रमों, योजनाओं व कानूनों को पंचायत – क्षेत्र में लागू करना
- ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियों की संरचना व कार्यों में जैण्डर समानता के मुद्दों को जोड़ना
- सामाजिक अंकेक्षण में जैण्डर ऑडिट का भी समावेश कर, महिलाओं व बालिकाओं के लिये बने कानूनों व कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना

यूएनएफपीए
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
भारत
55, लोदी एस्टेट,
नई दिल्ली–110 003

पचांयती राज मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110 001